शेयर बाज़ार से सम्बन्धित मुद्दे

जयपुर में आयोजित नवें सेमिनार में शेयर बाज़ार से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया और निम्न बातों पर सहमति हुई।

1- किसी कम्पनी का ख़रीदा हुआ इक्विटी शेयर कम्पनी में शेयर होल्डर की मिल्कियत का प्रतिनिधित्व करता है, यह केवल इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि उस व्यक्ति ने कम्पनी को इतनी रक़म दी हुई है।

2- ऐसी कंपनियों के शेयर की प्रारम्भिक ख़रीदारी जो अभी पूंजी जमा करने के चरण में है, शरीअत के हिसाब से ख़रीदारी नहीं बल्कि कम्पनी में भागीदारी है।

3- आम तौर से कम्पनियों की सम्पत्ति नक़द पूंजी से ज़्यादा होती है, इस लिए कंम्पनियों के शेयर की ख़रीदारी सही है। लेकिन अगर यह जानकारी हासिल हो कि अदा की हुई रक़म उस नक़दी की मात्र से कम या ज़्यादा है जो शेयर के द्वारा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में शेयर की ख़रीदारी उस की निर्धारित क़ीमत से कम या ज़्यादा पर दुरुस्त नहीं होगी।

4- जिन कंपनियों का मूल कारोबार हराम है, जैसे शराब और सुअर के गोश्त की तिजारत या सूदी क़र्ज़ देना, उनके शेयर की ख़रीद फ़रोख़्त बिल्कुल नाजायज़ है।

5- सेमिनार में शरीक लोगों का यह ख़्याल है कि भारत में ऐसी कंम्पनियां क़ायम हो सकती हैं जो ख़ालिस इस्लामी सिद्वांतों पर व्यापार करें। अतः सेमिनार के माध्यम से मुस्लिम व्यापरियों और अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञों से यह अपील की जाती है कि वह अपनी दीनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ऐसी कंम्पनियां क़ायम करने की कोशिश करें जो पूरी तरह इस्लामी निर्देश और सिद्वांतो के अनुसार काम करें।

चूंकि फ़िलहाल ऐसी कंम्पनियां भारत में मौजूद नहीं हैं या बहुत कम हैं जो पूरी तरह इस्लामी बुनियादों पर कारोबार करती हों, इस लिए जिन मुसलमानों के पास नक़द पूंजी हो और अपने हालात की वजह से किसी जायज़ कारोबार में यह पैसा लगाना उन के लिए मुमकिन न हो, उन्हें ऐसी कम्पनियों के शेयर ख़रीदने की गुंजाइश है जिन का मूल कारोबार हलाल और मुफ़ीद हो, चाहे क़ानूनी मजबूरियों की वजह से उन्हें सूदी मामलों में शामिल होना पडता हो।

6- जिन मुसलमानों ने ऐसी कंपनियों के शेयर ख़रीदे जिनका मूल कारोबार हलाल है लेकिन वह कुछ नाजायज़ काम में भी शामिल होती हों तो मुस्लिम शेयर होल्डरों की ज़िम्मेदारी है कि वह शेयर होल्डरों की मीटिंग में कम्पनी के ऐसे कामों पर आपत्ति जताएं और उन्हें नाजाइज़ मामलों में शामिल होने से रोकने की कोशिश करें। और दूसरे शेयरस होल्र्डस को समझा-बुझा कर इस बात पर तैयार करने की कोशिश करें कि वे भी उनके दृष्टिकोण से सहमत होकर समर्थन करें।

7- अगर कम्पनी के मुनाफ़े में सूद शामिल हो और उसकी मात्र मालूम हो तो शेयर होल्डर के लिए ज़रूरी है कि अपने मुनाफ़े में से उस का हिसाब लगाकर वह रक़म बग़ैर सवाब की नीयत के सदक़ा कर देना ज़रूरी है।

8- अगर कम्पनी के मुनाफ़े में सूद शामिल हो और हासिल होने वाली सूदी आमदनी को कारोबार में लगा कर मुनाफ़ा कमाया गया हो तो कुल आमदनी में जितने प्रतिशत सूद शामिल हो गया हो उसके अनुपात से अपने मुनाफ़े से रक़म निकाल कर उसे बग़ैर सवाब की नीयत से अपने माल से निकालना ज़रूरी है।

नोटः मौलाना रईस उल अहरार नदवी साहब का कहना है कि धारा 7,8 के अन्तर्गत सूद की रक़म किसी ग़ैर मुस्लिम को ही दी जाए।

9- कम्पनी का अपना एक क़ानूनी वजूद होता है, जो शेयर होल्डरों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है। बोर्ड आफ़ डायरेक्टर्स कम्पनी के चुने हुए लोगों का संगठन है जो कम्पनी की तरफ़ से मामलात करता है और इस तरह समस्त शेयर होल्डरों का वकील है। इस लिए बोर्ड की तरफ़ से किए जाने वाले ऐसे सारे मामले जो कम्पनी के तय शुदा नियमों और सिद्वांतों की हद में हों, उनकी ज़िम्मेदारी परोक्ष रूप से सभी शेयर होल्डरों पर आती है।

10- हलाल कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर का कारोबार करना जायज़ है।

11- भावी सेल ;थ्नजनतम ैसमद्ध जिनका मक़सद शेयर ख़रीदना नहीं होता बल्कि बढते घटते दामों के साथ नफ़ा नुक़सान बराबर कर लेने का उद्देश्य होता है इस्लामी शरीअत की नज़र में नाजाइज़ है, क्योंकि यह खुला हुआ जुआ है।

12- ग़ायब सौदा ;थ्वतूंतक ैसमद्ध जिसमें सौदा तो तय हो जाता है, लेकिन वह भविष्य में प्रभावी होना होता है, सौदा नहीं, सौदे का वादा है। निर्धारित समय आने पर जब लेन देन मुकम्मल होगा तभी सौदा वजूद में आएगा।

13- हाज़िरो सौदा ;ब्ै ैसमए ैचवज ैसमद्ध में शेयर सर्टिफ़िकेट हाथ में आने से पहले उस शेयर को बेचना जायज़ नहीं होगा।

14- शेयर सर्टिफ़िकेट हासिल होने के बाद ख़रीदार का उस पर क़ब्ज़ा हो जाता है, चाहे किसी वजह से कंम्पनी में उस का नाम दर्ज न भी हो सका हो। इस लिए उस शेयर को ख़रीदार बेच सकता है।

15- जिन शेयर की ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ है उनकी ख़रीद फ़रोख़्त में ब्रोकर के रूप में काम करना दुरुस्त है। नाजाइज़ और हराम कारोबार करनेवाली कम्पनियों के शेयरों के ख़रीद व फ़रोख़्त में ब्रोकर के रूप में काम करना जाइज़ नहीं है।

☆☆☆